( राजस्थान–सरकार )

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या :– 124/2021**

**रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2021/124**

**बउनवान**

भतर सिंह उर्फ भरत सिंह आयु 51वर्ष पुत्र श्री सुमेर सिंह हाड़ा जाति राजपूत निवासी ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

**बनाम**

1. दिनेश कुमार पुत्र श्री रतन लाल जाति लोधा निवासी ग्राम फूलबड़ौदा तहसील छीपाबड़ौद
2. राकेश पुत्र श्री रतन लाल जाति लोधा निवासी ग्राम फूलबड़ौदा तहसील छीपाबड़ौद
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबड़ौद जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

**अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी नामान्तरकरण क्रमांक 3167 दिनांक 21.06.2018 वाके ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित :– | 1– श्री जितेन्द्र नागर अभिभाषक | (अपीलांट) |
| | 2– श्री ओम मेहता अभिभाषक | (रेस्पो.क्रम 1 व 2) |
| | 3– पेरोकार सरकार | (रेस्पो. क्रम 3) |

**निर्णय दिनांक 20.09.2022**

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी नामान्तरकरण क्रमांक 3167 दिनांक 21.06.2018 वाके ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 26.03.2021 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण मे रेस्पो. क्रम 1 एवं 2 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई एवं रेस्पो. क्रम 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति को ही आधार मानकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:49:32 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभि[illegible] अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खाता संख्या 786 पुराना [illegible]त खसरा नं0 1465 रकबा 2 बीघा का हिस्सा 37/400 आराजी को जरि[illegible] 21.06.2018 को रेस्पो. क्रम 1 व 2 को बेचान की गयी जिसका विक्रय पत्र भी रेस्पो. क्रम [illegible] 2 के पक्ष में पंजीयन करवा दिया था। उक्त विक्रय पत्र की पालना में रेस्पो. क्रम 1 व 2 द्वारा इंतकाल खुलवाने हेतु [illegible] किया गया जिस पर तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा नामान्तकरण स[illegible]167 दिनांक 21.06.2018 [illegible]स्दीक करते हुए आराजी खसरा नं. 1465 रकबा 2 बीघा के 34/400 हिस्से में से 31/1200 पर अपीलांट का भंवर सिंह पुत्र सुमेर सिंह अंकित करते हुए रेस्पो. क्रम 1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया गया तथा अपीलांट का नाम भंवर सिंह पुत्र सुमेर सिंह इंतकाल नोट में गलत दर्ज होने से सही करवाने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद के यहां आवेदन किया तो तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा पूर्व में खोले गये

नामान्तकरण संख्या 3167 दिनांक 21.06.2018 को खारिज न करते हुए पुनः नामान्तकरण संख्या 3173 दिनांक 21.06.2018 को तस्दीक करते हुए आराजी खसरा नं. 1465 पर अपीलांट का नाम भतर सिंह पुत्र सुमेर सिंह अंकित करते हुए रेस्पो. क्रम 1 व 2 का नाम दर्ज कर दिया गया। इसीलिए अपीलांट द्वारा बेचान की गयी जमीन से सम्बन्धित दो बार इंतकाल खोलकर राजस्व रिकार्ड में दो बार इन्द्राज कर दिया गया है इसलिए अपीलांट पूर्व में गलत इंतकाल संख्या 3167 को निरस्त करा पाने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो. क्रम 3 द्वारा खोला गया इंतकाल नं. 3167 दिनांक 21.06.2018 निरस्त किया जाने का आदेश फरमाया जावे।

**रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा** कहा गया कि इंतकाल नं0 3173 दिनांक 21.06.2018 वाके ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद का भी जमाबन्दी में अमलदरामद करते वक्त दिनेश कुमार, राकेश पुत्र रतनलाल जाति लोधा के स्थान पर दिनेश कुमार पुत्र राकेश लववंशी पिसरान श्री रतनलाल जाति लोधा अंकित कर दिया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा सहीं करवाया जावें।

**प्रकरण मे उभयपक्ष** की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा नामान्तकरण सं. 3167 दिनांक 21.06.2018 वाके ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद को तस्दीक करते हुए अपीलांट का नाम भतर सिंह पुत्र सुमेरसिंह अंकित था जिसका जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में अमलदरामद करते समय पटवारी हल्का द्वारा गलती से खातेदार का नाम भंवरसिंह पुत्र सुमेरसिंह अंकित कर दिया गया।

अपीलांट का नाम भंवर सिंह पुत्र सुमेर सिंह जमाबन्दी में गलत दर्ज होने से सही करवाने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद के यहां आवेदन किया तो तहसीलदार छीपाबड़ौद द्वारा पूर्व में खोले गये नामान्तकरण संख्या 3167 दि. 21.06.2018 को खारिज न करते हुए पुनः नामान्तकरण संख्या 3173 दिनांक 21.06.2018 को तस्दीक किया गया। उक्त इंतकाल नं0 3173 दिनांक 21.06.2018 वाके ग्राम हरनावदाशाहजी तहसील छीपाबड़ौद का भी जमाबन्दी में अमलदरामद करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा गलती से दिनेश कुमार, राकेश पुत्र रतनलाल जाति लोधा के स्थान पर दिनेश कुमार पुत्र राकेश लववंशी पिसरान श्री रतनलाल जाति लोधा अंकित कर दिया गया है।

**अतः परिणामस्वरूप** अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है कि एक हीं विक्रय पत्र के आधार पर खोले गये दो इंतकाल नं0 3167 दिनांक 21.06.2018 एवं इंतकाल नं. 3173 दिनांक 21.06.2018 में से इंतकाल नं. 3167 दिनांक 21.06.2018 को खारिज किया जाता है एवं इंतकाल नं. 3173 दिनांक 21.06.2018 के अनुरूप जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में अमलदरामद करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त किया जाकर दिनेश कुमार पुत्र राकेश लववंशी पिसरान श्री रतनलाल जाति लोधा के स्थान पर दिनेश कुमार, राकेश लववंशी पिसरान रतनलाल जाति लोधा निवासी फूलबड़ौद उर्फ फूटीबड़ौद अंकित किया जावें। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है कि सम्बन्धित पटवारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम) 1958 के नियम –1 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:49:32 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बाराँ